

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017...3917/श्री अशोक कुमार, निरीक्षक उत्पाद गया को दिनांक-24.08.2017 की रात्रि में बिहार राज्य विबरेजज काँ0 लि0 विदेशी शराब गोदाम, दुर्गा बाड़ी रोड गया से विदेशी शराब की अवैध निकासी के आरोप में गया पुलिस द्वारा सिविल लाईन थाना काड सं0-348/17 दिनांक-25.08.2017 दर्ज कर, धारा 409/420/120(b)/34 भा0 द0 वि0 एवं 30 (a) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जेल जाने कि तिथि से श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (A) में निहित प्रावधान के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 25.08.2017 से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0उ0)-2-08./2017

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव


बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-08.09.17

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017 - 3917

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी गया /पुलिस अधीक्षक, गया/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/सहायक आयुक्त उत्पाद गया/जिला कोषांगार पदाधिकारी, गया/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अशोक कुमार, निरीक्षक उत्पाद गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. सहायक आयुक्त उत्पाद, गया को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित करते हुए उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसका तामिला श्री अशोक कुमार, निरीक्षक उत्पाद गया को कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।



सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

